

कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-2, बून्दी (राज.)

क्रमांक : च.श्रे.क.भर्ती/2019/०9

दिनांक : 16.09.2019

:: कार्यालय आदेश ::

इस अधिकरण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या-4689/2016, जिला अभिभाषक संघ बांसवाड़ा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 की अनुपालना में एवं विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक : प. 27 (13) न्याय/2016, जयपुर दिनांक 09.08.2019 के निर्देशानुसार जारी विज्ञप्ति संख्या-च.श्रे.क.भर्ती/2019/01 दिनांक 31.08.2019 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पूर्व से रिक्त चले आ रहे वर्तमान में 01 रिक्त पद के विरुद्ध सामान्य (अनारक्षित) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। उक्त विज्ञप्ति के क्रम में अंतिम दिनांक 09.09.2019 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची निम्नानुसार है:-


S.No.	Applicant Name	Father's Name	Category	Gender
1	रेखा सुमन	श्री घनश्याम सुमन	WIDOW	FEMALE
2	उषा सैनी	श्री रमेश कुमार सैनी	OBC	FEMALE
3	निर्मला मीणा	श्री दुर्गालाल मीणा	WIDOW	FEMALE
4	सन्तोष जांगिड	श्री गोविन्द राम	OBC	FEMALE
5	प्राची प्रधान	श्री दयाकृष्ण शर्मा	GEN	FEMALE
6	कौशल्या	श्री अम्बालाल	DIVORCEE	FEMALE
7	सीमा कुमारी शर्मा	श्री महावीर शर्मा	GEN	FEMALE
8	तुलसी सोनी	श्री दुर्गालाल सोनी	DIVORCEE	FEMALE
9	अनिता जांगिड	श्री नन्द किशोर जांगिड	OBC	FEMALE
10	आरती	श्री शम्भूदयाल	GEN	FEMALE
11	रिंकु साहू	श्री दुर्गालाल साहू	GEN	FEMALE
12	मनीष मीणा	श्री महावीर मीणा	ST	MALE
13	सुरेश कुमार मीणा	श्री जमनालाल मीणा	ST	MALE
14	हरीश कुमार मेहरा	श्री चुन्नीलाल मेहरा	SC	MALE
15	अनिल कुमार शर्मा	श्री बनवारी लाल शर्मा	GEN	MALE

On 16.9.19

16	सुरेन्द्र सिंह शेखावत	श्री गुमान सिंह शेखावत	GEN	MALE
17	अजित सिंह राठौड	श्री रेवन्त सिंह राठौड	GEN	MALE
18	मनोज कुमार गौतम	श्री राघेश्याम गौतम	GEN	MALE
19	ओम प्रकाश गोचर	श्री जगदीश गोचर	OBC	MALE
20	सुरेश कुमार मीणा	श्री लक्ष्मी नारायण मीणा	ST	MALE

नोट:-

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर चयन के लिए आवेदित सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु प्रोविजनली अनुमति प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थियों की आयु, शैक्षणिक योग्यता, वर्ग व अन्य पात्रता संबंधी जाच बाद में केवल सफल अभ्यर्थियों की जाची जावेगी।
2. यदि किसी भी अभ्यर्थी ने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से चयन में प्रभाव डालने का प्रयास किया तो उन्हें बिना कोई कारण बताए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
3. साक्षात्कार की तिथि अधिकरण के नोटिस बोर्ड तथा जिला एवं सेशन न्यायालय, बून्दी की वेबसाइट पर शीघ्र ही प्रकाशित की जावेगी।



न्यायाधीश

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-2
बून्दी (राज.)